



# मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड

“ तालीम घर ” इस्लामी गेट, शाहजहानाबाद, भोपाल - 462001



क्र / म.प्र.म.बो. / मदरसा-सेल / सचिव / 144  
प्रति,

भोपाल, दिनांक-15-3-19


समस्त मदरसा प्रबंधक  
जिला- भोपाल एवं बुरहानपुर  
मध्यप्रदेश।

विषय :- मध्यप्रदेश मदरसा बोर्ड द्वारा आयोजित “शिक्षा की मुख्य धारा कार्यक्रम-2019 ” अंतर्गत मुक्त पद्धति से कक्षा 8वीं की परीक्षा के आवेदन करवाने में मदरसों की सहभागिता संबंधी सूचना।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि म.प्र. मदरसा बोर्ड द्वारा सभी वर्ग के अल्पसंख्यक ड्रापआउट्स जिनकी आयु 14 वर्ष से अधिक है के लिये मुक्त शिक्षा पद्धति से पूर्व माध्यमिक परीक्षा (कक्षा-8 वीं) के आयोजन तीनों माध्यमों (उर्दू, हिन्दी एवं अंग्रेजी) में कराने का निर्णय म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ-भवन से विधिवत अनुमति प्राप्त करने के उपरांत लिया गया है। शासन से अनुमति अनुसार यह परीक्षा कार्यक्रम केवल जिला-भोपाल एवं बुरहानपुर में संचालित किया जायेगा। यह परीक्षा कार्यक्रम मुख्यतः औपचारिक स्कूली शिक्षा के ड्रापआउट्स जिनकी पढ़ाई किन्ही कारणों से बीच में छूट गई है को शिक्षा की मुख्यधारा में लाने का अवसर प्रदान करने के आशय से बनाया गया है। इस परीक्षा के माध्यम से अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थी शिक्षा की मुख्यधारा में जुड़ने के साथ-साथ राज्य एवं केन्द्र सरकार की कौशल विकास एवं अन्य स्कीमों से सीधे लाभांवित हो सकेंगे। कार्यक्रम का सम्पूर्ण विवरण वेबसाइट पर उपलब्ध है। जिला भोपाल एवं बुरहानपुर के समस्त मदरसा प्रबंधक इस अवसर का लाभ अपने जान पहचान के ऐसे सभी लोगों को दिलायें जो शिक्षा की मुख्य धारा में आना चाहते हैं। इसके लिये मदरसे इसका प्रचार-प्रसार अपने मदरसे के आस-पास के सभी अल्पसंख्यक वर्ग में करें। आवेदन फार्म का प्रारूप बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है उसे भरकर बोर्ड द्वारा घोषित अध्ययन-केन्द्रों के माध्यम से ऑनलाईन करायें इसकी जानकारी बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

बोर्ड द्वारा घोषित अध्ययन केन्द्रों के साथ-साथ जिलों के अन्य मदरसे भी इस योजना का प्रचार-प्रसार करें एवं इस परीक्षा में रुचि रखने वालों को सम्मिलित कराये। यहाँ उल्लेखनीय है अध्ययन केन्द्रों के अतिरिक्त अन्य मदरसों पर आवेदन फार्म भरवाने की कोई बाध्यता नहीं है बल्कि इस अवसर से अधिक से अधिक लोगो को लाभांवित कराने में उनका सहयोग अपेक्षित है। इस संबंध में बोर्ड द्वारा जारी पत्र क्रमांक/म.प्र.म.बो./मदरसा-सेल/सचिव/116 भोपाल,दिनांक 21/02/2019 में भी कही लेख नहीं किया गया है कि आवेदन न कराने पर मदरसों की मान्यता समाप्त की जाएगी, केवल कार्यक्रम में मदरसे की सहभागिता दर्ज कराने का आह्वान किया गया था। कतिपय व्यक्तियों द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है कि जो मदरसे किन्ही कारणों से फार्म नहीं भरवा सकें हैं उनके मदरसों की मान्यता समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी, जो कि ग़लत है।

अतः बोर्ड की ओर से मदरसा प्रबंधकों से अपेक्षा है कि इस कार्यक्रम के आयोजन में अपनी सक्रिय सहभागिता दर्ज कराये। इस परीक्षा के ऑनलाईन आवेदन हेतु दिनांक 15/01/2019 से 15/03/2019 तक निर्धारित थी जो अब बढ़ाकर **15 अप्रैल 2019** कर दी गई है। विस्तृत जानकारी बोर्ड की वेबसाइट [www.mpmb.org.in](http://www.mpmb.org.in) पर उपलब्ध कराई गई है।

  
सचिव  
म.प्र. मदरसा बोर्ड  
भोपाल